न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः—19 / 2023

प्रार्थीः—

हिमताराम पुत्र गेपाराम जाति राजपुरोहित निवासी नाल तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. अमरा पुत्र माधा
3. कलाराम पुत्र अणदाराम
4. कानसिंह पुत्र गोपाराम
5. कोलसिंह पुत्र शंकरजी
6. गोपाल पुत्र जेरूपा
7. चन्दनसिंह पुत्र गोपा के कायम मुकाम—
   7 / 1 ओमसिंह पुत्र चन्दनसिंह
   7 / 2 रतनसिंह पुत्र चन्दनसिंह
   7 / 3 झंमुदेवी पत्नी चन्दनसिंह
   7 / 4 पवनादेवी पुत्री चन्दनसिंह
   7 / 5 निरमा पुत्री चन्दनसिंह
8. जगताराम पुत्र अणदाराम
9. जबराराम पुत्र अणदाराम
10. जमना पत्नी जेरूपा
11. जोईताराम पुत्र करनाराम
12. झमुदेवी पत्नी गोपा
13. डुंगरसिंह पुत्र शंकरजी
14. देवीसिंह पुत्र शंकरजी
15. दौला पुत्र जेरूपा
16. पुखराजसिंह पुत्र शंकरजी
17. पारसमल पुत्र करनाराम
18. भवाराम पुत्र करनाराम
19. मिसराराम पुत्र भगाजी
20. रघुनाथसिंह पुत्र गोपाजी
21. लाला पुत्र माधा
22. वादीदेवी पत्नी करनाराम
23. विशनसिंह पुत्र शंकरजी
24. हरसनसिंह पुत्र शंकरजी
    जाति पुरोहित निवासी नाल तहसील सिवाना जिला बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:41:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्रसिंह सोढ़ा प्रार्थी वकील
2. श्री हीराचंद सुथार वकील विप्रार्थी संख्या 2 से 24

–:: आदेश ::– दिनांक :–11.09.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत पेश किया है। संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 630 व 631 कुल रकबा 15.9597 हैक्टेयर ग्राम गुडा तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात–यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक डायरी, मतदाता परिचय पत्र, में उसका वास्तविक नाम हिमताराम पुत्र गेपाराम ही अंकित है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम हिमताराम पुत्र गेपाराम के स्थान पर हड़मतसिंह पुत्र गोपा लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 2 से 24 के अधिवक्ता द्वारा इकबाली जवाब प्रस्तुत किया तहसीलदार सिवाना के पत्र कमांक–भू.अ./2024/1240 दिनांक 05.08.2023 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक डायरी, मतदाता परिचय पत्र आदि प्रस्तुत किये।

दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि उनका वास्तविक नाम हिमताराम पुत्र गेपाराम है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का त्रुटिवश नाम हड़मतसिंह पुत्र गोपा लिख दिये जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के [illegible] विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधा प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:41:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

हमने प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक डायरी, मतदाता परिचय पत्र आदि दस्तावेजात में उनका नाम हिमताराम पुत्र गेपाराम दर्ज

है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम हिमताराम पुत्र गेपाराम होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गुड़ा तहसील सिवाना की खसरा संख्या 630 व 631 कुल रकबा 15.9597 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम 'हड़मतसिंह पुत्र गोपा के स्थान पर 'हिमताराम उर्फ हड़मतसिंह पुत्र गेपाराम उर्फ गोपा' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 11.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:41:29 IST
Reason: SelfAttested